रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266726
CG-DL-E-07102025-266726

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947
No. 50] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

आ. अ. 54(अ).—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/केटी-एलए/2023 दिनांक 13 अप्रैल , 2023 के अनुसरण में 150- येल्लाहन्का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, कर्नाटक के 150- येल्लाहन्का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम , रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 13 मई, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 12 जून, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक से उनके दिनांक 27.06.2023 एवं 12.04.2024 के पत्र के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, बैंगलुरु अर्बन की रिपोर्ट दिनांक 23.06.2023 एवं 01.04.2024 के अनुसार, श्री बी. लक्ष्मैया, जो कर्नाटक के 150- येल्लाहन्का विधान

सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बैंगलुरु अर्बन की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री बी. लक्ष्मैया को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केटी-एलए/ 08/ 2023/ सीईएमएस-II, दिनांक 23 सितम्बर 2024 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री बी. लक्ष्मैया को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **बैंगलुरु अर्बन** जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी ,**बैंगलुरु अर्बन** जिला ने अपनी रिपोर्ट सं .AC/ELN/PR/715/2024-25; दिनांक 28.03.2025 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री बीलक्ष्मैया .** को दिनांक 17.03.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी ,**बैंगलुरु अर्बन** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं .AC/ELN/PR/714/2024-25; दिनांक 09.07.2025 जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ,कर्नाटक के पत्र सं .DPAR/24/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023 दिनांक 11.07.2025 द्वारा प्राप्त हुई है ,उसमें सूचित किया है कि **श्री बीलक्ष्मैया .** ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त ,उक्त नोटिस मिलने के उपरांत ,**श्री बीलक्ष्मैया .** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है ,दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,
तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर ,आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री बीलक्ष्मैया .** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि कर्नाटक के **150- येल्लाहन्का** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन ,20 23में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री बी ,लक्ष्मैया .निवासी गुनी अग्रहारा गांव, शिवकोट पोस्ट, हेसरघट्टा होबली, बेंगलुरु-560089** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76-केटी/एलए/08/2023/सीईएमएस-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 22nd August, 2025

O.N. 54(E).—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 for **150-Yelahanka** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KT-LA/2023, dated 13th April, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **150-Yelahanka** Assembly Constituency of Karnataka, 2023 was declared by the Returning Officer on 13th May, 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 12th June, 2023; and

WHEREAS, as per the report dated 23.06.2023 and 01.04.2024 of District Election Officer**, Bengaluru Urban** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, Karnataka vide his letter dated 27.06.2023 and 12.04.2024 stating that **Sh. B. Lakshmaiah**, a contesting candidate from **150-Yelahanka** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Bengaluru Urban,** a 'Show-Cause Notice' No. 76/KT-LA/08/2023/CEMS-II, dated 23rd September, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. B. Lakshmaiah**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. B. Lakshmaiah** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Bengaluru Urban** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer**, Bengaluru Urban** in his report no. AC/ELN/PR/715/2024-25; dated 28.03.2025 has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. B. Lakshmaiah** on **17.03.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bengaluru Urban** in his Supplementary Report no. AC/ELN/PR/714/2024-25; dated 09.07.2025 on account of the candidate received through Chief Electoral Officer, Karnataka letter No. DPAR/24/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023; dated 11.07.2025 has reported that **Sh. B. Lakshmaiah** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. B. Lakshmaiah** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. B. Lakshmaiah** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. B. Lakshmaiah**, resident of **Guni Agrahara village, Shivakote post, Hesaraghatta Hobli, Bengalore-560089** and a contesting candidate from **150-Yelahanka** Assembly Constituency of General election to Legislative assembly of Karnataka, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KT-LA/08/2023/CEMS-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

आ. अ. 55(अ).—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं .464/केटी-एलए/2023 दिनांक 13अप्रैल , 2023 के अनुसरण में **150- येल्लाहन्का** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951की धारा 78के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, कर्नाटक के **150- येल्लाहन्का** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन ,2023 का परिणाम ,रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 13मई, 2023को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 12जून ,2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नि यम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक से उनके दिनांक 27.06.2023 एवं 12.04.2024 के पत्र के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, बैंगलुरु अर्बन की रिपोर्ट दिनांक 23.06.2023 एवं 01.04.2024 के अनुसार, श्री अस. वी. विश्वनाथ, जो कर्नाटक के 150- येल्लाहन्का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बैंगलुरु अर्बन की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री अस. वी. विश्वनाथ को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केटी-एलए/ 08/ 2023/ सीईएमएस-II, दिनांक 23 सितम्बर 2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री अस. वी. विश्वनाथ को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, बैंगलुरु अर्बन जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी ,**बैंगलुरु अर्बन** जिला ने अपनी रिपोर्ट सं .AC/ELN/PR/715/2024-25; दिनांक 28.03.2025 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री अस. वी. विश्वनाथ** के निवास स्थान की दीवार पर दिनांक 27.03. को 2025चिपका दिया गया था क्योंकि अभ्यर्थी दिए गए पते पर नहीं रह रहा था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी ,**बैंगलुरु अर्बन** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं .AC/ELN/PR/714/2024-25; दिनांक 09.07.2025 जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ,कर्नाटक के पत्र सं .DPAR/24/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023 दिनांक 11.07.2025 द्वारा प्राप्त हुई है ,उसमें सूचित किया है कि **श्री अस. वी. विश्वनाथ** ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त ,उक्त नोटिस मिलने के उपरांत ,**श्री अस. वी. विश्वनाथ** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है , दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यत:, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर ,आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री अस. वी. विश्वनाथ** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि कर्नाटक के **150- येल्लाहन्का** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन ,20 23में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री अस. वी. विश्वनाथ ,निवासी नंबर 36, क्रॉस 4, पार्वती नगर, लग्गेरे, बेंगलुरु –560058** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76-केटी/एलए/08/2023/सीईएमएस-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd August, 2025

O.N. 55(E).—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 for **150-Yelahanka** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KT-LA/2023, dated 13th April, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **150-Yelahanka** Assembly Constituency of Karnataka, 2023 was declared by the Returning Officer on 13th May, 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 12th June, 2023; and

WHEREAS, as per the report dated 23.06.2023 and 01.04.2024 of District Election Officer**, Bengaluru Urban** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, Karnataka vide his letter dated 27.06.2023 and 12.04.2024 stating that **Sh. S.V. Vishwanatha**, a contesting candidate from **150-Yelahanka** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Bengaluru Urban,** a 'Show-Cause Notice' No. 76/KT-LA/08/2023/CEMS-II, dated 23rd September, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. S.V. Vishwanatha**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. S.V. Vishwanatha** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Bengaluru Urban** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bengaluru Urban** in his report no. AC/ELN/PR/715/2024-25; dated 28.03.2025 has reported that the said 'Show Cause Notice' was pasted on the wall of the residence of **Sh. S.V. Vishwanatha** on **27.03.2025** and mahazar was drawn; as the candidate was not staying in the given address; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bengaluru Urban** in his Supplementary Report no. AC/ELN/PR/714/2024-25; dated 09.07.2025 on account of the candidate received through Chief Electoral Officer, Karnataka letter No. DPAR/24/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023; dated 11.07.2025 has reported that **Sh. S.V. Vishwanatha** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further,

after receipt of the said notice, **Sh. S.V. Vishwanatha** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. S.V. Vishwanatha** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. S.V. Vishwanatha**, resident of **No. 36, 4th Cross, Parvathi Nagar, Laggere, Bengalore – 560058** and a contesting candidate from **150-Yelahanka** Assembly Constituency of General election to Legislative assembly of Karnataka, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KT-LA/08/2023/CEMS-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

आ. अ. 56(अ).—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/केटी-एलए/2023 दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के अनुसरण में 177- अनेकल (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, कर्नाटक के 177- अनेकल (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 13 मई, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 12 जून, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक से उनके दिनांक 27.06.2023 एवं 12.04.2024 के पत्र के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, बैंगलुरु अर्बन की रिपोर्ट दिनांक 23.06.2023 एवं 01.04.2024 के अनुसार, श्री ब्यातारागू एन., जो कर्नाटक के 177- अनेकल (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बैंगलुरु अर्बन की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री ब्यातारागू एन. को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केटी-एलए/ 08/ 2023/ सीईएमएस-II, दिनांक 23 सितम्बर 2024 को जारी किया गया था; और

यत:, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री ब्यातारा‌जू एन.को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, बैंगलुरु अर्बन जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, बैंगलुरु अर्बन जिला ने अपनी रिपोर्ट सं. AC/ELN/PR/715/2024-25; दिनांक 29.03.2025 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री ब्यातारा‌जू एन.को दिनांक 24.03.2025 को तामील किया गया था; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, बैंगलुरु अर्बन ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. AC/ELN/PR/714/2024-25; दिनांक 09.07.2025 जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक के पत्र सं. DPAR/24/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023 दिनांक 11.07.2025 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि श्री ब्यातारा‌जू एन.ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री ब्यातारा‌जू एन.ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है , दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यत:, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर ,आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री ब्यातारा‌जू एन.** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि कर्नाटक के 177- अनेकल (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री ब्यातारा‌जू एन., निवासी केम्पेगौड़ानगर सबमंगला गांव, समंदुरु पोस्ट, कसाबा होबली, अनेकल तालुक, बेंगलुरु शहरी जिला इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76-केटी/एलए/08/2023/सीईएमएस-II]

आदेश से,

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd August, 2025

O.N. 56(E).—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 for **177-Anekal (SC)** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KT-LA/2023, dated 13th April, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **177-Anekal (SC)** Assembly Constituency of Karnataka, 2023 was declared by the Returning Officer on 13th May, 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 12th June, 2023; and

WHEREAS, as per the report dated 23.06.2023 and 01.04.2024 of District Election Officer**, Bengaluru Urban** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, Karnataka vide his letter dated 27.06.2023 and 12.04.2024 stating that **Sh. Byataraju. N**, a contesting candidate from **177-Anekal (SC)** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, **Bengaluru Urban,** a 'Show-Cause Notice' No. 76/KT-LA/08/2023/CEMS-II, dated 23rd September, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Byataraju. N**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Byataraju. N** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Bengaluru Urban** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bengaluru Urban** in his report no. AC/ELN/PR/715/2024-25; dated 29.03.2025 has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Byataraju. N** on **24.03.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Bengaluru Urban** in his Supplementary Report no. AC/ELN/PR/714/2024-25; dated 09.07.2025 on account of the candidate received through Chief Electoral Officer, Karnataka letter No. DPAR/24/Chuvebha(Addl.CEO-1) 2023; dated 11.07.2025 has reported that **Sh. Byataraju. N** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Byataraju. N** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Byatraraju N** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Byataraju. N** resident of **Kempegowdanagara Sabmangala Village, Samanduru Post, Kasaba Hobli, Anekal Taluk, Bengalore Urban district** and a contesting candidate from **177-Anekal (SC)** Assembly Constituency of General election to Legislative assembly of Karnataka, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KT-LA/08/2023/CEMS-II]

By Order,

RAKESH KUMAR, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.07 15:13:36 +05'30'